सीधी सोच, सीधी बात !

(न्यायव्यवस्था, शिक्षाव्यवस्था और सामाजिक विचारधारा बदलने के लिए)

यह एक खुला मंच है जिसके अंतर्गत कोई भी देशभक्त व्यक्ति राष्ट्र के हितमें अपनी बात रख सकता है, क्यूँकि राष्ट्रहित सर्वोपरि. इसी अंतर्गत पूरी तरहसे अभिनव,

'भारत की संपूर्ण नई न्याय व्यवस्था' (प्राथमिक प्रारूप)

यह योजना बनायी है.

नई न्याय व्यवस्था का उददेश :–

लोगोंको त्वरित न्याय देना है, सबूत के आधार पर निर्णय नहीं.

योजनाकार – श्री. संजय ह. परदेशी , पुणे

(स्वदेशी काम करनेवाला 'परदेशी' व्यक्ति)

मो/ व्हॉटसॲप – **9423014414/9422034483**

मेल – **sanjayswadeshi6@gmail.com**

वेब – **www.newroadtransport.com**

Copyright To Mr. Sanjay H. Pardeshi (Pune) Copyright registration no. L-96819/2020

भारत की नई न्यायप्रणाली की
नई न्याय देवता
2+4
6

लोकतंत्र का सबसे बडा आधार :– सीधी सोच, सीधी बात..!

- हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है. जब जब यह नही रही तब तब लोकतंत्र भीडतंत्र में बदल गया है. यह ना हो इसीलिए भारत में पहली बार भारत की दो मूलभूत समस्याओंमें आमूलचूल बदलाव लानेवाली योजनाओंका प्रारूप बनाया गया है. इनमें से एक है :– **भारत की संपूर्ण नई न्यायव्यवस्था.**
- नई न्याय व्यवस्था में **तकनीकी विभाग** और **प्रशासकीय विभाग** ऐसे दो विभाग होगे.

तकनीकी विभाग

- भारत की आज की न्यायव्यवस्था अंग्रेजोंने बनाए हुए ढाँचे पर आधारित है.
- इसलिए यह बहुत क्लिष्ट, धीमी, खर्चिली और ज्यादा समय लेने वाली है.
- **अंग्रेजोंका उद्देश केवल 'गुलाम' नौकर और 'गुलाम' समाज निर्माण करना था.**
- **अंग्रेजोंका उद्देश भारतीय समाज को त्वरित और सस्ता न्याय मिलने के बजाय प्रलंबित, महंगे सबूत आधारित निर्णय देने का था ताकि उनका शासन बरकरार रहे.**
- दुर्भाग्यवश आज भी थोडे बहुत बदलाव के साथ यही व्यवस्था शुरू है.
- इस व्यवस्था में सबूत के आधार पर निर्णय होने से **'सबूत'** यह अहम मुद्दा हो जाता है, **न्याय नही.**
- अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजीयत आधारित न्यायप्रणाली सामान्य हिन्दुस्थानी को कैसे न्याय देगी?
- **चूँकी हम सब भूल गए है के स्वभाषा का त्याग माने स्वजनद्रोह, मातृद्रोह और देशद्रोह.**

प्रचलित न्यायव्यवस्था की कुछ 'गलत' मान्यताएँ (Assumptions):–

प्रचलित न्यायव्यवस्था की कुछ मान्यताएँ

१. न्यायदेवता अंधी होती है. उसने आँखोंपर पट्टी बाँध रखी है. मुंबई हायकोर्ट के इमारत पर बंदर तराजू लेकर दिखाया गया है:– **यह कैसी विडंबना?**

२. न्यायव्यवस्था में देरी है, अंधेर नही.

३. कोर्ट की सीढियाँ मत चढो.

४. ९९ अपराधी छूटे तो भी चलेगा लेकिन एक निरपराध को सजा नही होगी.

५. बाप का मुकद्दमा बेटा लडेगा.

६. कोर्ट में मुकदमा दाखिल करनेवालोंको साबित करना पडता है कि सामनेवाला अपराधी है.

'भारत की संपूर्ण नई न्याय व्यवस्था' की मान्यताएँ

१. हमें न्याय चाहिए और न्यायदेवता के आँखोंपर पटट्ी? ना न्यायदेवता अंधी होगी ना बंदर के हाथमें तराजू. अब **सीधी सोच, सीधी बात और सीधा आचरण होगा.** नई न्यायदेवता की चित्र अनुसार नई मूर्तियाँ प्रस्थापित होगी. जिसके तराजूके एक पलडेमें २+४ यह अंक होगा तो दूसरे पलडे में ६ यह अंक होगा. इसका मतलब २+४ या ज्यादा से ज्यादा ६ वर्षोंमें जनता को न्याय मिलेगा.

२. नई न्यायव्यवस्था में ना देरी है, ना अंधेर.

३. नई व्यवस्था त्वरित सही न्याय देगी इसका भरोसा है.

४. नई न्यायव्यवस्था में एक भी अपराधी ना छूटेगा और ना ही एक भी निरपराधी सजा पाएगा.

५. बाप को ही दो या चार से छः वर्षोंमें न्याय मिलेगा ही.

६. नई न्यायव्यवस्था में अपराधियोंको साबित करना पडेगा की वे निरपराध है.

प्रचलित न्यायव्यवस्थाकी मजबूरी

- स्वदेशी के आदय संस्थापक प्रखर देशभक्त वकील लोकमान्य बाल गंगाधर टिळकजी का **'स्वतंत्रता मेरा जन्मसिध्द् अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे'**, यह वाक्य हम सब कैसे भूल सकते है? उन्होंने तब अंग्रेज सरकार को गलत नीति और गलत न्यायव्यवस्था के कारण सुनाया था के **'क्या सरकारका दिमाग जगह पर है'? और सरकार हिल गई थी.** यही आदर्श मानते हुए पिछले २५/३० वर्षोंसे मेरे जैसे अनगिनत **'स्वदेशी'** लोग यह कह रहे है कि स्वदेशी न्यायव्यवस्था, स्वदेशी शिक्षाव्यवस्था, स्वदेशी विचारधारा, स्वदेशी उत्पाद, पध्द्ती और जीवनशैली आचरण में लाओ नही तो हम सब परावलंबी होंगे.
- दुर्भाग्यवश भारतवासीयोंने ना **'टिळकजी'** की बात मानी और ना ही स्वदेशी कार्यकर्ताओंका साथ दिया. इसका भयंकर परिणाम यह हुआ के आज भी हम सब अपने ही देश में अपनी मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में शीघ्र, सही और सस्ते न्याय के लिए वंचित है.
- प्रचलित न्यायव्यवस्था एक जगह कहती है के भारत **धर्मनिरपेक्ष** देश है तो दूसरी तरफ कहती है के भारत में **सर्वधर्मसमभाव** है. कितना परस्पर विरोधी है यह! हम सब भूल गये है के सर्व धर्म सम भाव माने धर्मनिरपेक्षता नही बल्कि सभी धर्म का एक समान बर्ताव. हम सब अच्छी तरह समझ ले की सर्वधर्मसमभाव तो होना ही चाहिए लेकिन साथमें सबके लिए एक ही कानून, एक ही शिक्षा पध्द्ति और एक ही सोच भी होनी चाहिए.
- एक तरफ ५० प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण है तो दूसरी तरफ संविधान/न्यायालय कहते है कि जाति धर्म का न्यायदान से संबंध नही. लेकिन फिर भी शुक्रवार दोपहर एक बजे मुस्लिम वकील के नमाज के लिए न्यायालय और **सबको** समझौता करना पडता है. **क्या यह दोगलापन नही है?**

विचित्र कानून / विचित्र व्यवस्था ➡ भारत की विडंबना

१. सभी विकसित देशोंने अपनी मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में पढाया इसीलिए वह विकसित हुए, उन्होंने संशोधन किए. भारत को भी यही करना होगा अन्यथा भारतावासी ना कभी बडे संशोधन कर पाएँगे और ना ही सही व्यवस्थाएँ बना पाएँगे. इसी को ध्यान में रखकर ही हम सब आगे **भारत की विडंबना** समझेंगे.

२. कोर्टमें हर एक अपराधी को **धर्मग्रंथ की शपथ लेकर** अंत तक झूठ बोलनेका अधिकार है चूँकि उसको न्याय का अधिकार है. लेकिन फिर्यादी को अंत तक सच साबित करना पडता है.

३. चेक बाउंस होने पर कोर्टमें फिर्यादी को चेक की रकम के दो प्रतिशत स्टॅम्प डयूटी भरनी पडती है, लेकिन जिसने चेक बाउंस किया उसको कोई खर्चा नही.

४. नाबालिग आरोपी को कडी सजा नही हो सकती लेकिन वह बलात्कार कर सकता है.

५. बलात्कार/साधू हत्या जैसे मामलोमें सामान्य लोग कुछ नही कर सकते लेकिन कैण्डल मार्च निकाल सकते है.

६. छोटी छोटी बातों पर भी निर्णय देने का सुप्रीम कोर्ट को हक है, वक्त है, लेकिन **समान नागरिक कानून / जनसंख्या नियंत्रण कानून** जैसे महत्वपूर्ण विषयोंपर खुद संज्ञान लेकर निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ना हक है और ना ही वक्त.

७. आतंकी के लिए रातको १२ बजे भी कोर्ट खुलती है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए शाम ६ बजे के बाद ऐसी बात करना भी न्यायालय का अपमान है.

८. आरोपी होने के बावजूद भी हर समय जमानत मिलती है और दंड की राशी भी बहुत कम होती है.

विचित्र कानून / विचित्र व्यवस्था ➡ भारत की विडंबना

९. भारत के इतिहास को तोड मरोडकर झूठ सिखाना, झूठ बोलना, झूठ लिखना चलता है, लेकिन सच इतिहास लिखनेपर, बोलनेपर, तीखा, आत्मकेंद्रित और कट्टर हिन्दू कहा जाता है.

१०. भारत के हिन्दू धर्म की धार्मिकता, सभ्यता, मान्यता, परंपरा, इतिहास पर व्यंग करना **'फॉरवर्ड'** होने की निशानी है, लेकिन मुस्लिम/ख्रिश्चन धर्म की उसी व्यवस्था पर व्यंग करना **'असंवेदनशील'** है.

११. देशमें दो महिनोंसे सडक बंद करना लोकतंत्र की आजादी है, शहर दंगोंसे जलाना संविधान के दायरे में है, लेकिन दंगाईयोंके फोटो लगाना अपराध है.

१२. उसके उपरांत भी तारीख पे तारीख और जमानत पे जमानत वाला चक्कर शुरू ही रहता है.

१३. यहाँ प्रधानमंत्री को डंडे मारो बोलना चलता है, लेकिन गददारों को गोली मारो बोलना नहीं चलता है.

१४. झूठ की राजनीती चलती है, लेकिन सच बोलनेपर सरकार गिरती है.

१५. लाल बहादूर शास्त्री जैसे देशभक्त प्रधानमंत्री की हत्यापर सब लोग चुप है, लेकिन आतंकियोंके फाँसीपर भी रोटिया सेंकना जायज है.

१६. भारतमें जानवरो पर पैसा कमाना कानूनी अपराध है, लेकिन दूसरे देश जानवरोंकी कसरते दिखाकर उससे पैसे कमाते है, तो यह कलाकारी है.

१७. हमारे देशमें १२ से १६ साल का लडका/लडकी काम करे, मेहनत करे, कारिगरी सीखे तो यह **'चाइल्ड लेबर'** के तहत कानूनी अपराध है, लेकिन दूसरे देश का लडका/लडकी यही करे तो वह स्वावलंबी है.

विचित्र कानून / विचित्र व्यवस्था ➡ भारत की विडंबना

१८. हवाई अडड्ोंपर स्पीकर पर अनाउसमेंट करना ध्वनी प्रदूषण है, लेकिन बडी बडी मोटरसायकल के इंजन का आवाज **'वा क्या फायरिंग है!**

१९. हिन्दुओंके त्योहारों पर पटाखे फोडना ध्वनी और वायु प्रदूषण है, लेकिन पटाखोंकी विश्वप्रतियोगिता लेना एक शानदार समारोह है.

२०. सच इतिहास को बोलना, लिखना, दिखाना धर्मनिरपेक्षता नही है, लेकिन दो अलग धर्म के लिए दो अलग कानून धर्मनिरपेक्ष है.

२१. राम मंदिर पर मुस्लिम सेंकडो वर्ष मुकदमा चला सकते है लेकिन हिन्दूओं के पक्ष में निर्णय आने के बावजूद वह आनंद भी व्यक्त नही कर सकते.

२२. आतंकी, देशद्रोही के प्रति संवेदना रखना मानवाधिकार है, लेकिन उनके प्रति सच लिखना भी मानवाधिकार का हनन है.

२३. मुस्लिम व्यक्ति अपने धर्म की खातिर जो भी करे वह सर आँखोंपर, और हिन्दू थोडा तीखा भी बोले, लिखे तो भी अल्पसंख्यांकोंपर हमला है.

२४. भारत की प्रचलित आई.ए.एस. व्यवस्थामें सत्ता का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और मुस्लिमोंकी गलत तरीकेसे घुसखोरी अलिखित सर्व संमत है. लेकिन इस सच्चाई को चैनल पर दिखाना अपराध है.

२५. प्रचलित व्यवस्था में अपराधियोंको जमानत, सजा या दंड भी उनका सामाजिक स्थान देखकर दिया जाता है. **उदा. लोकप्रिय मुस्लिम अभिनेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ हिन्दु अधिवक्ता.**

कारण और उपाय

- **अभी के प्रचलित न्यायालय कायदालय है, और न्यायाधीश कायदाधीश है.** अभी भी हजारो पुराने कालबाह्य कानून, पध्द्ती और नियम कार्यरत है. दुर्भाग्यवश कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ सभी सरकारोंने भी अभी तक यही न्यायव्यवस्था कार्यरत रखी है. इसीलिए तो बहुत समय और संपत्ती बरबाद होने के बाद भी हम सबको त्वरित और समाधानकारक न्याय नहीं मिलता है.
- १५०/२०० साल पुरानी अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियत आधारित इस धीमी और पेचीदा न्याय व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव होगा, इसलिए **नई न्यायप्रणाली उददेश अनुसार लिखी जाएगी.**
- नई न्यायप्रणाली में दंड की राशी इतनी ज्यादा होगी के जिसकी वजहसे लोगोंमें दहशत बनी रहेगी और लोग अपराध करनेसे पहलेही दस बार सोचेंगे. दंड की राशी कोर्ट में भुगतान करने के लिए समय सीमा में छूट नही होगी, उसपर **SAY** नही होगा, उसपर आवेदन या बहस नही होगी.
- इसी तरह जमानत के भी नये कानून बनाएँ जायेंगे जहाँपर तारीख पे तारीख या जमानत पर जमानत नही होगी. जमानत के कडे कानून से लोग अपराध करनेसे कतराएँगे.
- भारतीय लोकतंत्र में जनता आधारभूत है और न्यायाधीश भी उसीका एक भाग है. **इसीलिए 'अंग्रेजियत आधारित न्यायालय का अपमान' में बदलाव होकर उसका स्वरूप मर्यादित होगा.**
- सभी सरकारी विभाग गर्मियोंमें काम करते है. तो न्यायालय भी हर वर्ष गर्मियोंमें काम करेंगे.
- इसीलिए पुलिस यंत्रणा भी सशक्त और सक्षम करेंगे. उनके लिए उचित और त्वरित सुविधाएँ बढाएँगे.

कारण और उपाय

- न्यायव्यवस्था में त्वरित न्याय मिलने केलिए भारत की पुरानी ग्रामआधारित पंचायत न्यायपद्धती को सक्षम करना होगा. पक्ष/धर्म/ जात–जमात को छोडकर पंचायत न्यायप्रणाली इस तरह से न्याय देगी के लोगोंको न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही ना पडे, चूँकि गाव में सब लोगोंके सामने लोग झूठ बोलनेसे कतराते है, वही लोग बंद कमरे में न्यायालयोंमें धर्मग्रंथ की शपथ लेकर भी झूठ बोलते है. अंग्रेज आने से पहले भारत के अलग अलग क्षेत्र के न्यायप्रिय राजा अपनी अपनी न्यायप्रणाली के तहत लोगोंको सही और त्वरित न्याय देते थे. **महाराष्ट्र में छत्रपती शिवाजी महाराज जी ने जो न्यायव्यवस्था विकसित की थी वह अपने आप में एक आदर्श व्यवस्था थी.**
- ध्यान रहे, नई न्यायप्रणाली बनाते समय भारत के सभी क्षेत्र के सभी प्रकारके आरक्षण बंद करने होंगे. संपूर्ण भारतमें हर क्षेत्र में सभी के लिए सिर्फ **४०%** आर्थिक दुर्बल आरक्षण **(Economical Backword Reservation - EBR)** की सुविधा उपलब्ध होगी. दुसरा आरक्षण होगा महिलाओंके लिए, जो सभी धर्म और जातियों की महिलाओंके लिए **१५%** होगा. इसका अर्थ हर क्षेत्र में कुल आरक्षण ज्यादा से ज्यादा **५५% (४०% आदुआ (EBR) + १५% महिलाएँ)** होगा. किसी भी हालात में किसी भी क्षेत्र में कभी भी कुल आरक्षण **५५%** से ज्यादा नही होगा और किसी भी हालात में जाती/धर्म आधारित आरक्षण नही होगा. **आदुआ (EBR)** के लिए आमंदनी की न्यूनतम मर्यादा सही ढंग से तय की जाएगी.
- ध्यान रहे, नई न्यायप्रणाली बनाते समय प्रचलित गलत प्रशासकीय व्यवस्थाएँ भी पुस्तक अनुसार बदलनी होगी. तब जाकर सही स्वरूपमें भारत विकसित देश कहलाएगा.

प्रशासकीय विभाग

- लोगोंको निश्चित कालावधी में न्याय मिले इसलिए कोई भी शिकायत दर्ज होने के बाद एक महिने में न्यायप्रक्रिया शुरू होगी.
- न्यायप्रक्रिया शुरू होने के बाद कमसकम तीन महीने और ज्यादा से ज्यादा दो वर्षोंमें न्यायप्रक्रिया पूरी होकर न्याय मिलेगा. अपराध के स्वरूप अनुसार यह कालावधी निश्चित किया जाएगा. **लेकिन किसी भी हालात में वह दो वर्षोंसे ज्यादा नही होगा.**
- अगर वह मुकदमा उपर हायकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो वहाँ भी यही नियम लागू होगा जो उपर लिखा है. याने के कोई भी मुकदमा अगर प्रथम जिला कोर्ट, बादमें हाय कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लडा जाए तो भी **ज्यादा से ज्यादा छः वर्षोंमें न्यायप्रकिया समाप्त होकर न्याय मिलेगा.**
- लेकिन मुकदमे के स्वरूप अनुसार हर मुक्दमा/अपराध सुप्रीम कोर्ट तक नही जायेगा. नई न्यायप्रणाली इस तरह से लिखी जाएगी, जिसमें कुछ कम अपराधोवाले मुकदमे सिर्फ हाय कोर्ट तक ही सीमित रहेंगे. तो ऐसे मुकदमोमें **ज्यादा से ज्यादा चार वर्षोंमें न्यायप्रक्रिया समाप्त होकर न्याय मिलेगा.**
- सामान्य लोगोंको न्यायप्रक्रिया समझ में आनी चाहिए इसलिए नई न्यायप्रणाली संपूर्ण रूपसे अपनी अपनी मातृभाषा/राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखी जाएगी. नई शिक्षाव्यवस्था में संपूर्ण देश अपनी अपनी मातृभाषा/ राष्ट्रभाषा हिंदी में पढेगा इसका प्रावधान है. जिसके अंतर्गत नई शिक्षा पध्द्ति लागू होकर वकील विदयार्थिओंका प्रथम गुट इ.स. २०३७ में मातृभाषा/राष्ट्रभाषा हिन्दी में उत्तीर्ण होगा और तब जाकर न्यायव्यवस्था पूर्ण रूपसे हिन्दी और अपनी अपनी मातृभाषा में कार्यान्वयित होगी.

प्रशासकीय विभाग

- इसलिए तब तक नई न्यायप्रणाली मजबूरन अंग्रेजी में भी लिखी जाएगी. लेकिन ध्यान रहे, इ.स. २०३७ के बाद नई न्यायव्यवस्था केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी और अपनी अपनी मातृभाषामें ही कार्यान्वयित होगी.
- तालुका स्तर से सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट दो सत्र में काम करेंगे, जैसे कीः–

कोर्ट का प्रकार	आरंभ	समाप्त	विश्राम	काम का समय
सुबह का कोर्ट	सुबह ठीक ८ बजे	दोपहर २ बजे	सुबह ११.०० से ११.३०	५.३० घंटे
दोपहर का कोर्ट	दोपहर २.१५ बजे	रात ८ बजे	शाम ५.१५ से ५.४५	५.१५ घंटे

- दो सत्र में काम करने से मुकदमोंका निपटारा त्वरित होगा. केसेस प्रलंबित नही रहेंगे. सुबह और दोपहर में काम करनेवाले न्यायाधीश और वकीलोंकी मानसिकता उस स्वरूपसे बदलेगी. साथ साथ लोगोंकी मानसिकता भी उस तरहसे बनेगी और लोग अनुशासित होंगे.
- भारत जैसे गर्म देशमें सभी न्यायालय वातानूकूलित नही होते है. इसलिए वकील, न्यायाधीशोंका नकारात्मक काला पेहराव त्वरित हटाया जाएगा और उस जगह उचित शांत, प्रसन्न आकाश से प्रभावित फीके नीले और सफेद रंग का सकारात्मक **'आसमानी'** पेहराव प्रचलन में लाया जाएगा.
- **दि. १/१/२०२७ से संपूर्ण भारत में नई न्यायप्रणाली लागू होगी. कैसे? आगे देखते है ....**
- **लेकिन ध्यान रहे, यह आमूलचूल बदलाव नही किया तो आनेवाली पीढीयाँ हमे माफ नही करेगी, क्यूँकी यह आखरी मौका है, अभी नही तो कभी नही..!**

नई न्यायव्यवस्था लागू करनेका कालावधी

- दि. ३१/१२/२०२० तक नई न्यायव्यवस्था लिखने के लिए प्रमुख समिती का गठन होगा. साथ साथ तकनीकी और प्रशासकीय विभागके सभी महानुभावों को नियुक्त किया जाएगा. दि. १/१/२०२१ से दि. ३०/१२/२०२१ तक संपूर्ण नई न्यायप्रणाली लिखी जाएगी. **प्रथम वर्ष का पाठयक्रम अग्रक्रम होगा.**
- दि. १/१/२०२२ से दि. ३०/३/२०२२ तक सुझाव व कुछ पुर्नलेखन. **ध्यान रहे, संपूर्ण न्यायप्रणाली प्रमुख उददेश अनुसार लिखी जाए.** दि. १/४/२०२२ से दि. ३०/६/२०२२ तक संपूर्ण छपाई, वितरण, प्रसार.
- दि. १/७/२०२२ से नई न्यायप्रणाली का प्रथम वर्ष आरंभ. संपूर्ण भारतमें अंग्रेजी और हिंदी में आरंभ होगा. और अपनी अपनी मातृभाषामें भी आरंभ होगा.
- दि. १/७/२०२२ से दि. ३०/६/२०२६ तक ज्यादा से ज्यादा चार वर्षोंमें नई न्यायप्रणाली सीखकर विदयार्थियोंका प्रथम गुट उर्त्तीर्ण होकर पदवी लेगा.
- दि. १/७/२०२६ से दि. ३१/१२/२०२६ तक परिक्षण, समस्याओंका समाधान, पुराने मुकदमे नई न्यायप्रणालीमें रूपांतरीत करना, नई न्यायप्रणाली के साथ प्रायोगिक कोर्ट चलवाना इ.
- **दि. १/१/२०२७ से संपूर्ण भारत में नई न्यायव्यवस्था लागू होगी.**
- दरम्यान दि. १/७/२०२२ से दि. ३१/१२/२०२६ तक साढे चार वर्षोंमें प्रचलित न्यायव्यवस्था चलानेवाले वकील और न्यायाधीशोंके लिए अलगसे क्लासेस लेना, अंशकालीन कॉलेज चलवाना, मोबाईल ॲप बनवाकर नई न्यायप्रणाली अवगत करवाना इत्यादी काम करने होंगे. **इन साढे चार वर्षोंमें सभी वकील और न्यायाधीश नई न्यायप्रणाली आत्मसात करेंगे और दि. १/१/२०२७ से नई न्यायव्यवस्था लागू होगी.**

श्री. संजय ह. परदेशी, पुणे

(स्वदेशी काम करनेवाला 'परदेशी' व्यक्ति)

पताः– फ्लॅट नं. **8,** योगेश्वरी अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल, आय.डी.बी.आय. बँक के उपर, महेंदळे गॅरेज रोड, एरंडवणे, पुणे **– 411004,** महाराष्ट्र, भारत.
मो. नंः– **7011463900** मो/व्हॉटसॲप. नंः– **9423014414 / 9422034483**
ई मेल :– **sanjayswadeshi6@gmail.com** वेब : **www.newroadtransport.com**

श्री. संजय ह. परदेशी मेकॅनिकल इंजीनिअर हैं. पिछले ३० वर्षोंसे अपने कारोबार में लगे हुए हैं. साथ साथ पिछले २० वर्षों से समाजसेवा और राष्ट्रसेवा करते हुए उनका लक्ष्य भारत की समस्याओंपर समाधान ढूँढना है. भारत की प्रमुख समस्याओंपर निरंतर चिंतन करते हुए लेखकने **भारत कैसे बदलें..?** और **सीधी सोच, सीधी बात..!** इस खुले मंच के तहत समस्याओंपर समाधान प्रस्तुत किए हैं. लेखक का यह दावा है कि भारत में प्रचंड जनसंख्या और संसदीय लोकतंत्र की वजहसे शासन, प्रशासन और जनता में ना कानून की दहशत है और ना स्वयंपूर्ण अनुशासन की चाहत. **इसलिए भारत की पुरानी न्यायव्यवस्था और शिक्षाव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाना ही होगा जिसकी वजहसे शासन, प्रशासन और लोग अनुशासित होंगे.** साथ साथ समाज की विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए क्यूँकि **सोच बदलो, देश बदलेगा.** तब जाकर भारत आनेवाले वर्षोंमें **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** बनेगा, अन्यथा नही. ***इसी के तहत लेखक ने भारत की संपूर्ण नई न्यायव्यवस्था (प्राथमिक प्रारूप) और भारत की संपूर्ण नई शिक्षाव्यवस्था (प्राथमिक प्रारूप)*** लिखी है.

साथ साथ लेखक ने सडक दुर्घटनाएँ और यातायात की समस्याओंपर पहलसे ही समाधान ढूँढकर एक योजना बनाई है, जो ***'संपूर्ण भारत की नई सडक और यातायात योजना'*** इस नाम से प्रसिध्द् हुई है.

जय हिन्द..!

Copyright To Mr. Sanjay H. Pardeshi (Pune) Copyright registration no. L-96819/2020